

(रा.श. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधीक्षक महोदय
सिवागा बालोतरा
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।
महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि ग्राम डुंदो का बाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 307 में मेरा/हमारे नाम रमेश पुत्र फूसाराम

दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम सुरेश पुत्र फूसाराम है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।

दिनांक :-

(जबरी सुकी)



(मता)

हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक
प्रार्थी के बाधा का निवारण के अनुसार रमेश पुत्र
फूसाराम के स्थान पर सुरेश पुत्र फूसाराम
सुद्ध किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

16/10/25
प- प्रवीण
16.10.25
म. लक्ष्मी

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित हैं ।

Rem No - 2025/670

आदेश

क्रमांक / ग.अ.वि. / 1704

दिनांक 17/10/25

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम डुंदो का बाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 307 में रमेश पुत्र फूसाराम के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

सुरेश पुत्र फूसाराम

की जाती है तदनुसार रिकॉर्ड में प्रामाण्य दस्तावेज की कार्यवाही की जावे ।



उपखण्ड अधीक्षक सिवागा
(बालोतरा)